

देशीय प्रभारा पदाधिकारी


050

पत्रांक-1/प्रा0आ0-बजट-उप0-01/2012 (खंड) 3554 / आ0प्र0

73

महत्त्वपूर्ण

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग



अनिरुद्ध कुमार,  
संयुक्त सचिव।  
सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

Very Very Imp.

मूल प्रस्तावों की तथ्या DD'05 पत्र /  
मूल / COF / COPOS / S.D.C.  
पटना-15, दि- 19/8/13. मूल प्रस्ताव  
ADMS

विषय: महालेखाकार कार्यालय में पूर्व में जमा किये गए डी0सी0 विपत्रों को गुम हो जाने पर ए0सी0 विपत्रों के सामंजस के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय पत्रांक 8241 दिनांक 07.08.13 के आलोक में सूचित करना है कि ऐसी दृष्टांत सामने आ रहे हैं कि विभिन्न कार्यालयों द्वारा डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय में समर्पित किया गया है, लेकिन आज वे मिल नहीं रहे हैं, तथा संबन्धित ए0सी0 विपत्र की सूची में हैं। इस प्रकार के समर्पित एवं गुम हो गए डी0सी0 विपत्रों के सामंजस हेतु महालेखाकार कार्यालय द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:-

1. ऐसे सभी संबन्धित ए0सी0 विपत्रों की सूची समेकित रूप से बनायी जाय, जिनके डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय में समर्पित किये गए हैं, किन्तु अब उपलब्ध नहीं हैं।
2. विहित प्रपत्र में डी0सी0 विपत्र तैयार किया जाय तथा इस पर डी0डी0ओ0 का हस्ताक्षर तथा नियंत्री पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किया जाय।
3. डी0सी0 विपत्रों के साथ मूल उप भाउचर की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाय।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एक प्रमाण-पत्र दिया जाय कि 'प्रमाणित किया जाता है कि मूल सब भाउचर के स्थान पर सब भाउचर की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत की जा रही है।
5. महालेखाकार कार्यालय में डी0सी0 विपत्र मूल सब भाउचर सहित जमा किये जाने संबंधी प्राप्ति का साक्ष्य भी दिया जाय।

उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उक्त व्यवस्था एक बार के लिए है।

अतः अनुरोध है कि महालेखाकार कार्यालय में पूर्व में जमा किये गए डी0सी0 विपत्रों को गुम हो जाने पर ए0सी0 विपत्रों के सामंजस हेतु उपर्युक्त के आलोक में अग्रतः कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

द्विवासभाजन,  
19/8/13  
अनिरुद्ध कुमार  
संयुक्त सचिव

पत्रांक- 315-2 दिनांक- 22-08-2013.

- प्रतिनिधि - सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलपदाधिकारी प्रखण्ड विभा।
- प्रतिनिधि - सभी सी0 डी0 पी0 ओ0 प्रखण्ड विभा। सभी कृषि उप समाहर्ता समाहर्ता मूल प्रखण्ड
- प्रतिनिधि - सभी अनुमंडल पदाधिकारी प्रखण्ड विभा तथा उप विकास आयुक्त / सिविल सर्जन / कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद प्रखण्ड तथा समाहर्ता मूल विभा तथा सभी ब्यारवा के प्रभारी पदाधिकारी को

कृपया  
में  
18-8-13